194

संख्या–01/xvi–2/16/17(2)/2015

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 02 फरवरी, 2016

विषय–बागेश्वर रिंग रोड़ निर्माण में प्रभावित होने वाली रेशम विभाग की भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4877/III(2)/15–24(सामान्य)/2015 दिनांक– 29 दिसम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय रेशम फार्म कफलखेत, जनपद बागेश्वर की उपलब्ध भूमि श्रेणी–1क में से खाता/खेत संख्या–01, बसरा संख्या–614 (9 मुठ्ठी), 615 (12 मुठ्ठी), 622 (1 नाली 8 मुठ्ठी), 623 (10 मुठ्ठी) एवं 624 (1 मुठ्ठी) कुल 03 नाली 08 मुठ्ठी भूमि जिसकी लागत रु0 12.60 लाख भूमि लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को रिंग रोड़ निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 27.11.2015 को सम्पन्न बैठक **(कार्यवृत्त संलग्न)** में लिये गये निम्नलिखित निर्णयानुसार एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–260/वित्त अनुभाग–2/2002, दिनांक 15 फरवरी, 2002 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नाकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. फार्म की पूर्ण चौड़ाई पर 8 फुट की ऊंचाई की दीवार का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाये, जिससे फार्म के प्रदूषण को न्यून किया जा सके। एक गेट भी 8 फुट की ऊंचाई का बनाया जाय।
2. फार्म पर निर्मित Rain water harvesting tank को यदि हो तो नहीं तोड़ा जाये। यदि Tank का टूटना आवश्यक हो तो लोक निर्माण विभाग द्वारा दूसरे Tank का निर्माण किया जाये, जो कम से कम उसी लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का हो। वर्तमान में निर्मित टैंक 19.5 x 13.5 x 4.5 फुट का है।
3. उक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग निर्धारित मुआवजा रू012.60 लाख रेशम विभाग को अदा करेगा। यह मुआवजा प्रश्नगत रेशम विभाग के कीटपालन के पौधे व वृक्षों की क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित है। रु0 12.60 लाख की धनराशि विभाग को प्राप्त होने पर रेशम विभाग इस धनराशि का अन्यत्र सदुपयोग करके रेशम उद्योग से जुड़े कृषकों के लिए सहयोग प्रदान करने में सक्षम हो सकेगा।
4. जिन परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हों वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।

क्रमश....2/–

5. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

6. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अन्य सरकारी भूमि सड़क निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन को निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली गई है।

7. हस्तान्तरित भूमि को प्रस्तावित कार्य के इतर किसी भी प्रयोग में लाये जाने पर आंवटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–01/xvi–2/16/17(2)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहारदून।
2– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 उद्यान एवं रेशम मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
6– सचिव, राजस्व/वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7– जिलाधिकारी, बागेश्वर।
8– निदेशक, रेशम विकास विभाग, प्रेमनगर, देहरादून।
9– चीफ इंजीनियर (मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग।
10– अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
11– उप निदेशक, रेशम कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।
12– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।